न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **40/2021** अन्तर्गत धारा **251A RT Act.**

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
छगना पुत्र धारा जाति मेगवाल, निवासी नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. सुखराम पुत्र भींयाराम जाति जाट, निवासी नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. गेमरसिंह पुत्र दीपसिंह – फौत 2.1 जामतसिंह पुत्र गेमरसिंह 2.2 बागसिंह पुत्र गेमरसिंह 2.3 बाबूसिंह पुत्र गेमरसिंह 2.4 मूलसिंह पुत्र गेमरसिंह जाति राजपुत, निवासी नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. वैरिसालसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपुत, निवासी नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. मांगा पुत्र उमा 5. भोजा पुत्र उमा 6. चांदा पुत्र उमा 7. मूमल पत्नी उमा 8. गोरधन पुत्र उतमा 9. गुमना पुत्र उतमा 10. लुम्भाराम पुत्र भैराराम 11. मगाराम पुत्र भैराराम 12. मोहनराम पुत्र भैराराम 13. पेमाराम पुत्र भैराराम 14. शिवलाल पुत्र भैराराम 15. मंगली पत्नी पुरखाराम 16. रामचन्द्र पुत्र रूधाराम 17. नवलाराम पुत्र धाराराम 18. भगवानाराम पुत्र धाराराम 19. तिलोकाराम पुत्र धाराराम जाति मेगवाल, निवासी नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 20. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 तथा 2 के का. मु. – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
3. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 – श्री सवाईसिंह राठौड़।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 31.10.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 436 रकबा 32.06 बीघा मौजा नागड़दा, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 578/414, 415, 394/261, 435 रकबा क्रमशः 15.10, 88.16, 64,00, 362.02 बीघा में आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी [illegible] प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित [illegible] 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी उक्त [illegible] भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को [illegible] कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत [illegible] आने जाने हेतु नया रास्ता [illegible] आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार विप्रार्थी संख्या 3 के मौजा विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
शिव

394/261 एकबा 10.3599 हैक्टेयर में से एकबा 0.1053 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा तथा लम्बाई 87 गट्ठा है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 435, 436 दोनों खसरों में खातेदारी भूमि होने से उक्त रास्ता खसरा नम्बर 435 तक प्रस्तावित किया गया है।विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जरिये अभिवक्ता इकबाली जवाब पेश [illegible]सीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता कटाण करने बाबत् विप्रार्थी संख्या 3 [illegible] प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान की गई। शेष विप्रार्थीगण उक्त रास्ता कटाण से [illegible]होंगे।

[illegible] प्रार्थी अभिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया [illegible]दार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के [illegible] आवश्यकता, निकटतम, लघुतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित [illegible] प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। विप्रार्थी संख्या 3 के अभिवक्ता द्वारा प्रार्थी वकील की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी से बिना प्रतिफल राशि लिये रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता उन्हें अस्वीकार होने से आवेदन खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अभिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 3 के मौजा निम्बसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 394/261 एकबा 10.3599 हैक्टेयर में से एकबा 0.1053 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा तथा लम्बाई 87 गट्ठा है। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा धारा 251 ए के प्रावधानों को पूरा करता है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 435 व 436 दोनों खसरों में खातेदारी भूमि होने से उक्त रास्ता खसरा नम्बर 435 तक ही प्रस्तावित किया गया है। विप्रार्थी संख्या 3 के अभिवक्ता द्वारा उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि उनकी खातेदारी में से निशुल्क दिये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिवक्ता उक्त रास्ता हेतु असहमति जताई गई है, जबकि उक्त रास्ते हेतु भूमि केवल विप्रार्थी संख्या 3 की उपयोग में ली जायेगी। अन्य पक्षकारान् अप्रभावित रहेंगे। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 435 एकबा 59.6005 हैक्टेयर मौजा नागड़दा, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 के मौजा निम्बसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 394/261 एकबा 10.3599 हैक्टेयर में से एकबा 0.1053 हैक्टेयर भूमि का प्रभावित खातेदारान् द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अधोहस्ताक्षरकर्ता के [illegible] प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु [illegible] तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा द्वारा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शिव